न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 259 सन 2019
अनवान :–

1. लिलाधर 2. सुखराम 3. दीपाराम 4. डालाराम 5. मदनलाल 6. ओमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. देवकी पत्नी भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. श्यामलाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. सुरजभान पुत्र भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 105/103 की कुल 6.3250हैक भूमि व रोही मौजा करोती के खाता संख्या 21/20 की कुल 2.1500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम वल्द लाभुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम वल्द लाभुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्र के पुत्रो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पास वाद भूमि के अलावा अन्य चकों /ग्रामों में भूमिया है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई जिसे वादीगण काश्त करते आ रहे है एवं रोही मौजा खाजुवाला व बडबिराना के अन्य खातों की भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई है जो काश्त करते आ रहे है

वादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने निवेदन किया की वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है जिन्हाने आपसी सहमति से काश्त की सुविधा को ध्यान में

रखते हुए बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई है जिसे वे काश्त करते आ रहे है वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के बाहमी बटवारा के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 105/103 की कुल 6.3250हैक भूमि व रोही मौजा करोती के खाता संख्या 21/20 की कुल 2.1500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रावताराम वल्द लाभुराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा रावताराम वल्द लाभुराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र/पुत्र के पुत्रो वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज हुई।

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पास वाद भूमि के अलावा अन्य चकों /ग्रामों में भूमिया है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई जिसे वादीगण काश्त करते आ रहे है एवं रोही मौजा खाजुवाला व बडबिराना के अन्य खातों की भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त हुई है जो काश्त करते आ रहे है

वादीगण के बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन होता है वादीगण अपने बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 105/103 की कुल 6.3250हैक भूमि व रोही मौजा करोती के खाता संख्या 21/20 की कुल 2.1500हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार वाद भूमि पूर्व वादीगण के पूर्वज रावताराम वल्द लाभुराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरास्तन से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से मुश्तरका खाते में दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 एक ही परिवार के सदस्य है जिनके पास वाद भूमि के अलावा अन्य चकों /ग्रामों में भूमिया है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई जिसे वादीगण काश्त करते आ रहे है एवं रोही मौजा खाजुवाला व बडबिराना के अन्य खातों की भूमिया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को प्राप्त

हुई है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि का काश्त की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहमी बटवारा किया गया था जिसमें वाद भूमि वादीगण को प्राप्त हुई थी जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 105/103 की कुल 6.2350हैक भूमि मे वादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब 5.0010हैक एवं वादी संख्या 6 अकेला 0.2411हैक एव रोही मौजा करोती के खाता संख्या 21/20 की कुल 2.1500हैक के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. लिलाधर 2. सुखराम 3. दीपाराम 4. डालाराम 5. मदनलाल 6. ओमप्रकाश पुत्र रावताराम जाति ब्राहम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 देवकी पत्नी भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. श्यामलाल पुत्र भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. कृष्ण कुमार पुत्र भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. सुरजभान पुत्र भगवानाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 259 सन 2020 निर्णय दिनांक– 16/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 105/103 की कुल 6.2350हैक भूमि मे वादीगण संख्या 1 ता 5 बहिब 5.0010हैक एवं वादी संख्या 6 अकेला 0.2411हैक एव रोही मौजा करोती के खाता संख्या 21/20 की कुल 2.1500हैक के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते